

Embry

अन्वेषण अधिकारी का कार्यालय, दिल्ली

समाख्या संख्या अभिलेख संख्या 228 2016-17

दिनांक 23/12/16

23/12/16

आपका संदेश संख्या-2074 दिनांक 03.08.2016 संश्लेषण के अन्तर्गत विभागीय मु-आदेश-सह-विभाग संश्लेषण संख्या सं. भूमि सुधार विभाग का सं. 10-3-आ.सं.वि.सं-119/85/2308/10 दिनांक 03.08.2016 एवं संश्लेषण संख्या विभागीय परिपत्र सं. 914/10 दिनांक 09.12.2016 में विहित विधि व अनुयायन के अनुसार आपकी भूमि की माप की गयी जमाबंदियों की जांच परामर्श की गई। जांच के क्रम में हस्ता कर्मचारी एवं अग्रज निरीक्षण द्वारा प्रतिक्रिया किया गया है कि विभागीय विवरणों की भूमि -

प्लॉट संख्या 182 काठ सं. 62

रकबा 2.67 एकड़ भूमि का परामर्शक द्वारा जमाबंदी के अन्तर्गत संश्लेषण संख्या के अन्तर्गत जमा की गयी है। जिसकी जमाबंदी का सं. सं. 10-3-आ.सं.वि.सं-119/85/2308/10 दिनांक 03.08.2016 में विहित विधि व अनुयायन के अनुसार आपकी भूमि की माप की गयी है। जिसका अंतर्गत विधि व अनुयायन के अनुसार आपकी भूमि की माप की गयी है। जिसका अंतर्गत विधि व अनुयायन के अनुसार आपकी भूमि की माप की गयी है।

हस्ता कर्मचारी एवं अग्रज निरीक्षण द्वारा प्रतिक्रिया किया गया है कि विभागीय विवरणों की भूमि -

आपका कर्मचारी एवं अग्रज निरीक्षण द्वारा प्रतिक्रिया किया गया है कि विभागीय विवरणों की भूमि -

आपका कर्मचारी एवं अग्रज निरीक्षण द्वारा प्रतिक्रिया किया गया है कि विभागीय विवरणों की भूमि -

आपका कर्मचारी एवं अग्रज निरीक्षण द्वारा प्रतिक्रिया किया गया है कि विभागीय विवरणों की भूमि -

अभिप्रेत दिनांक को उपस्थित करें

सहायक एवं सहायक

अन्वेषण अधिकारी

23/12/16

नोटिस तमिना है पाना।  
- 23/12/16 सं. 228/16

9/8/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिश तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत से वंशज द्वारा न्यायलय में उपस्थित होकर लगान रशीद/दलील/खतिनाम एवं अन्य कागजात की छाया प्रति समर्पित किये हैं। परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त भूमि से संबंधित किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित नहीं किया गया है, जो उनकी दावे की पुष्टि करता हो।

अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा ककी जाती है।

अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता धनबाद को भेजे।

अंचल अधिकारी,  
बलियापुर।

अचल अधिकारी के कार्यालय, बलियापुर  
बाद अनिलेख संख्या- 228 / 2018 (अन्तर्गत धारा-4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम \_\_\_\_\_

मन्दा की शरण अ/ता

सा 0 लडादा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आज लडादा खाना नं०- 182  
खाता नं०- 62 खेसरा नं०- \_\_\_\_\_ रकम 2.67 पर आपका नाम से  
हउ नं०- सा 0 के पंजी- II भाग \_\_\_\_\_ के पृष्ठ \_\_\_\_\_ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया  
राजस्व कर्मचारी ने अचल निरीक्षक के माध्यम से जांचोपरान्त सदिक् प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबन्ध में दिनांक- 9/8/16 को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त  
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, मूलपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी  
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व  
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त  
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अचोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित  
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबन्ध में आपको कुछ  
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए  
दर्ज जमाबंदी के संबन्ध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुसूचना कर दी जायेगी।

इसो सख्त ताकीद जानें।

तिथि- \_\_\_\_\_

मुहर

स्थान- \_\_\_\_\_

9/8/16  
अचल अधिकारी  
बलियापुर

सा 0/16

copy C:\Users\HP\Desktop\binod sir\court case.docx

विद्या शरण अ/ता

नारिस्त लालिमा कीमा  
सा 0 अ/ता सप 0 अ/ता  
06/8/16